स्पीड पोस्ट से

श्रीमती जोया हाइके, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा प्रथम अपील प्राधिकारी (नोटरी) के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं0 422, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

******

अपील सं0 23/ जेएस एंड एलए (जैडएच) /एनसी/2014

के मामले में :

श्री उमेश कुमार सारस्वत (एडवोकेट),
मकान सं0 2/219, खतराना होली का मैदान,
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश ..... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (एन)
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001 ..... प्रत्यर्थी

IMPLEMENTATION CELL
FTS Dy. No.....
Date.....

M.S. Lalitha

आदेश

23.01.2015

प्रस्तुत अपील दिनांक शून्य की है, जो दिनांक 19.12.2014 को प्राप्त हुई है और सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन किए गए दिनांक 27.10.2014 के उस आवेदन-पत्र से उत्पन्न हुई है, जिसमें आवेदक ने नोटरी की नियुक्ति हेतु लिए गए इंटरव्यू के संबंध में निम्नलिखित सूचना मांगी थी :-

1) यह कि नोटरी संबंधित जो साक्षात्कार 19 अगस्त, 2014 से 22 अगस्त, 2014 को दिल्ली में 310 लोगों का हुआ था जिसमें कि 183 लोगों का चयन हुआ और 127 लोगों को निरस्त किया गया, किस आधार पर जबकि साक्षात्कार का कोई मानक नहीं था ।
2) साक्षात्कार के वक्त कोई भी प्रश्न वकालत संबंधित नहीं पूछा गया, क्यों?
3) उत्तर प्रदेश में नोटरी संबंधित कितनी रिक्तियां थीं और किस जिले में कितने नोटरी वकील बनाए गए ।
4) जिन लोगों की नोटरी संबंधित फाइल निरस्त की गई उनके बारे में सरकार आगे क्या निर्णय लेगी?
5) जो 127 लोगों की फाइलें निरस्त की गई हैं, जबकि एक फाइल में 2000 रु0 की एन0ओ0सी0 लगी है । (127 X 2000=254000) खर्चा वकील लोगों का हुआ है। क्या सरकार पैसा वापस करेगी ।
6) जो 127 लोगों की फाइलें निरस्त की गई हैं,क्या सरकार उनका दुबारा साक्षात्कार लेगी या पैसा वापस करेगी।
7) जबकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, क्या एक जिले में 3 वकीलों का नोटरी लाइसेन्स जारी किया गया (3 के हिसाब से भी 225 लोगों का होना चाहिए जबकि 183 लोगों की नियुक्ति हुई। किस आधार पर उत्तर प्रदेश में नोटरी वकील बनाए गए ।

2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने उनके दिनांक 18.11.2014 के पत्र के जरिये आवेदक को निम्नलिखित सूचना दी थी :-

क्र.सं.	प्रश्न का उत्तर
1.	मांगी गई सूचना प्रश्न की प्रकृति में है व यह विभाग किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है । फिर भी, आपको यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित साक्षात्कार बोर्ड ने आवेदकों को नोटरी के चयन से संबंधित नोटरी अधिनियम, 1952, नोटरी नियम, 1956 तथा संबंधित दिशानिर्देशों की आवश्कता के अनुरूप उनकी दक्षता, कानूनी जानकारी तथा अन्य संबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परखा । आवेदकों के बोर्ड के समक्ष उनके प्रदर्शन के आधार पर ही साक्षात्कार बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवेदकों के नाम नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु किए जाने के लिए अनुशंसा की है ।
2.	मांगी गई सूचना प्रश्न की प्रकृति में है व यह विभाग किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है । फिर भी, आपको यह सूचित किया जाता है कि चूंकि प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्य करता है, अतः किसी भी आवेदक समक्ष किसी भी प्रश्न का रखा/पूछा जाना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के क्षेत्राधिकार में ही होता है ।
3.	नोटरी नियम, 1956 में दी गई अनुसूची के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु 679 रिक्तियों का कोटा निर्धारित था, जिसमें से हाल ही में हुए साक्षात्कार में 183 रिक्तियां भर दी गईं हैं, इनका जिलावार ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है ।
4 व 6	जनवरी, 2012 से मई, 2014 तक इस विभाग में नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन -पत्रों में से निरस्त हुए आवेदन -पत्रों के प्रार्थियों को निरस्ती-पत्र भेजे जा चुके हैं तथा यह सभी आवेदक निरस्ती पत्र की तारीख से छह माह के उपरांत,यदि चाहें तो, फिर से आवेदन कर सकते हैं ।
5.	नोटरी अधिनियम,1952 तथा नोटरी नियम, 1956 में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है ।
7.	चूंकि प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्य करता है, अतः किसी भी आवेदक के नाम की नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के क्षेत्राधिकार में ही है ।

3. अपनी अपील में अपीलार्थी / आवेदक ने कहा है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अपर्याप्त और अस्पष्ट है और उसने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर के संबंध में निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं :-

1. आपके द्वारा भेजा गया पत्र मुझे 27.11.2014 को प्राप्त हो गया था ओर जैसा कि पूनम सूरी जी ने आपके लिए लिखा है सो मैं आपसे सूचना चाहता हूं कि बिंदु सं0 1 में जैसा कि मैंने पूछा था कि साक्षात्कार का कोई मानक नहीं था तो आपके जवाब का उत्तर बिंदु सं0 1 का है कि साक्षात्कार बोर्ड ने उनकी दक्षता, कानूनी जानकारी तथा अन्य संबंधित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए परखा । जबकि मैं बोर्ड के समक्ष सभी दक्षता, कानूनी जानकारी में खरा उतरा फिर भी मेरी फाइल को निरस्त किया गया, क्यों ?

2. बिंदु सं0 2 में आपके द्वारा लिखा गया कि प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्य करता है, क्या साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य अपनी योग्यता और अनुभव के बारे में जानकारी देंगे और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों का क्षेत्राधिकार यह भी है कि किसी का साक्षात्कार छूट जाए फिर अगली तारीख पर ले लिया जाए । महोदया, मैंने यह बात इसलिए लिखी है कि 22 अगस्त को जिस वक्त मैं साक्षात्कार देने जा रहा था उसी वक्त एक सज्जन आए। उनका साक्षात्कार 19 अगस्त को छूट गया था । वे बोर्ड के एक सदस्य से मिले और फिर पूनम जी से बात की गई और पुन: उनको साक्षात्कार के लिए 22 तारीख को भेजा गया और उनका साक्षात्कार हुआ । क्या यह भी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है ?
3. बिंदु सं0 3 में मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कितनी रिक्तियां थीं, तो आपके द्वारा जवाब आया कि 679 रिक्तियों का कोटा था जबकि 310 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें कि 183 लोगों की नियुक्ति की गई। क्या यही लोग दक्षता, कानूनी जानकारी में सक्षम थे। अगर थे तो किस जिले में कितनी नियुक्तियां हुईं जबकि पिछली सरकार में ऐसा नहीं था जैसा अब हुआ है ।
4. बिंदु सं0 7 में जैसा कि आपके द्वारा लिखा गया है, साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करता है । किसी भी आवेदक के नाम की सिफारिश करना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों का क्षेत्राधिकार है । महोदया सिफारिश शब्द के कई अर्थ निकलते हैं । किस तरह की सिफारिश करना चाहिए कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों का नाम व एड्रेस बताएं जिससे मैं भी अपनी सिफारिश कर सकूं ।
5. बिंदु सं0 5 में मैंने पूछा था कि एन0ओ0सी0 2000/- रु0 की लगी है । क्या यह दुबारा काम आएगी या पैसा वापस होगा तो आपका जवाब आया कि इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है । महोदया, छोटे से जिले को ध्यान में रखते हुए वकील लोगों की आमदनी कम है, अत: पुन: पैसा वापस कराया जाए ।

4. मामले को दिनांक 16.01.2015 को सुनवाई के लिए रखा गया था । आवेदक /अपीलार्थी स्वयं उपस्थित हुआ और उसने अपनी आर0टी0आई0अपील में उठाए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन लिखित में कुछ प्रस्तुत नहीं किया। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी भी उपस्थित हुए और उन्होंने दिनांक 18.11.2014 के पत्र में दिया गया उत्तर ही दोहराया ।

5. मामले की जांच की गई है। आवेदक /अपीलार्थी ने नोटरियों के साक्षात्कार और चयन-प्रक्रिया के बारे में बहुत-से प्रश्न और मुद्दे उठाए हैं। इसलिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना उचित है। अत: अपील खारिज की जाती है ।

6. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन निर्धारित समय-सीमा के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है ।

दोनों पक्षों को तदनुसार सूचित कर दिया जाए ।

ज़ोया हाडके

(ज़ोया हाडके)

संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार तथा

प्रथम अपील प्राधिकारी

1. श्री उमेश कुमार सारस्वत, (एडवोकेट) मकान सं0 2/219, खतराना होली का मैदान, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।
2. उप विधि सलाहकार एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (नोटरी), विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001
3. सूचना का अधिकार सैल, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

सेवा में,

22/J5&2A(2H)NC/2014
19/12/14

श्री मती प्रोया हड़के, अतिरिक्त विधि सलाहकार एवं
प्रथम याचिका अधिकारी
विधि कार्य विभाग, कानून एवं न्याय मन्त्रालय
कमरा संख्या 422 चौथा तल
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना का आवेदन पत्र.

महोदया,

निवेदन है कि मैं उमेश कुमार सारस्वत (एडवोकेट) बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पंजीकरण सं० 11642/2000 का मैं निवासी 2/219 खतराना होलों का मैदान मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) 209625 का निवासी हूँ।

यह कि आवेदक द्वारा दिनांक 5/11/11 - 21/11/2012 को मौखिक सम्बन्धित मामले का साक्षात्कार होने के सम्बन्ध में वांछित सूचना चाहता हूँ जबकि हमारा मामला संख्या 5(225)14-N.C. है।

1. आपके द्वारा भेजा गया पत्र मुझे 27/11/2014 को प्राप्त हो गया था और जैसा कि पूनम सूरी जी ने आपको लिखा है सो मैं आपसे सूचना चाहता हूँ बिन्दु संख्या 1 में जैसा कि कहा गया था कि साक्षात्कार का कोई मानक नहीं था तो आपके जवाब का उत्तर बिन्दु संख्या 1 का है साक्षात्कार बोर्ड ने उनकी दक्षता, कानूनी जानकारी तथा अन्य सम्बन्धित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए परखा।

जबकि मैं बोर्ड के समक्ष सभी दक्षता, कानूनी जानकारी में खरा उतरा फिर भी मेरी मामले को निरस्त किया गया क्यों

2. बिन्दु संख्या 2 में आपके द्वारा लिखा गया कि प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य करता है। क्या साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य अपनी योग्यता और अनुभव के बारे में जानकारी देंगे और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों का क्षेत्राधिकार यह भी है कि किसी का साक्षात्कार छूट जाए फिर अगली तारीख पर ले लिया जाए। महोदया मैंने यह बात इसलिए लिखी है कि 22 अगस्त को जिस वक्त मैं साक्षात्कार देने जा रहा था उसी वक्त एक सज्जन आए उनका साक्षात्कार 19 अगस्त को छूट गया था बोर्ड के एक सदस्य से मिला और फिर पूनम जी से बात की गयी और पुनः उसको साक्षात्कार के लिए 22 तारीख को भेजा गया और उसका साक्षात्कार हुआ। क्या यह भी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है?

कोई स्वयं अपने द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है। किसी भी आवेदक के नाम की सिफारिस करना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों का क्षेत्राधिकार है। महोदया सिफारिस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। किस तरह की सिफारिस करना चाहिए कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों का नाम व ऐड्रेस बताएं जिससे की मैं भी अपनी सिफारिस कर सकूं।

5. बिन्दु संख्या 5 में मैंने पूछा था कि N.O.C. 2000/- Rs की लगी है क्या यह दुबारा काम आयेगी या पैसा वापस होगा तो आपका जवाब आया इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। महोदया हो सके जिले को ध्यान में रखते हुए वकील लोगों की आमदनी कम है अतः पुनः पैसा वापस कराया जाय।

अतः श्रीमती जोया हुडा के जी से प्रार्थना है कि उक्त सूचना से अवगत कराने की कृपा करें जिस हेतु शुल्क रु 10 का भारतीय डाक पोस्टल आर्डर आपके पास भेजा जा चुका है जिसका क्र० सं० 70C-216963 है, 70C-216964 है।

प्रार्थी

उमेश कुमार सारस्वत
(एडवोकेट)
मु०नं० 21219 खतरानी टोला
का मैदान, फर्रुखाबाद।

संख्या. 5A(324)/2014-NC

भारत सरकार

विधि एवं न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

नोटरी सेल

*****

४३९, शास्त्री भवन,
नयी दिल्ली-११०००१

दिनांक : नवम्बर 18, २०१४

सेवा में,

श्री उमेश कुमार सारस्वत,
मकान न. 2/219, खतराना होली का मैदान,
फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश.

विषय: आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र दिनांक 27.10.2014 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध मे.

आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पत्र दिनांक 27.10.2014 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के सन्दर्भ में, निम्न सूचना प्रदान की जा रही है:

क्र.स.	प्रश्न का उत्तर
1.	मांगी गई सूचना प्रश्न की प्रकृति मे है व यह विभाग किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नही है. फिर भी, आपको यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु गठित साक्षात्कार बोर्ड ने आवेदको को नोटरी के चयन से सम्बंधित नोटरी अधिनियम, १९५२, नोटरी नियम, १९५६ तथा सम्बंधित दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुरूप उनकी दक्षता, कानूनी जानकारी तथा अन्य सम्बंधित बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए परखा। आवेदकों के बोर्ड के समक्ष उनके प्रदर्शन के आधार पर ही साक्षात्कार बोर्ड ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आवेदकों के नाम नोटरी के रूप में नियुक्ति हेतु किये जाने के लिए अनुशंसा की है.
2.	मांगी गई सूचना प्रश्न की प्रकृति मे है व यह विभाग किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नही है. फिर भी, आपको यह सूचित किया जाता है कि चूंकि प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्य करता है, अतः किसी भी आवेदक समक्ष किसी भी प्रश्न का रखा/पूछा जाना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के क्षेत्राधिकार में ही होता है.
3.	नोटरी नियम, 1956 मे दी गई अनुसूची के अनुसार वर्तमान मे उत्तर प्रदेश राज्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नोटरी के रूप मे नियुक्ति हेतु 679 रिक्तियो का कोटा निर्धारित था. जिसमे से हाल ही मे हुए साक्षात्कार मे 183 रिक्तिया भर दी गई है. इनका जिला-वार ब्यौरा अभी तैयार नही किया गया है.
4 व 6.	जनवरी 2012 से मई 2014 तक इस विभाग मे नोटरी के रूप मे नियुक्ति हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्रो मे से निरस्त हुए आवेदन पत्रो के प्रार्थियो को निरस्ती पत्र भेजे जा चुके है तथा यह सभी आवेदक निरस्ती पत्र की तारीख से छः माह के उपरांत, यदि चाहे तो, फिर से आवेदन कर सकते है.
5.	नोटरी अधिनियम, 1952 तथा नोटरी नियम, 1956 मे इस सम्बन्ध मे कोई प्रावधान नही है.
7.	चूंकि प्रत्येक साक्षात्कार बोर्ड स्वयं अपने द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्य करता है, अतः किसी भी आवेदक के नाम की नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए सिफारिश करना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों के क्षेत्राधिकार में ही है.

2. यदि आप यहाँ प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो आप इस पत्र की प्राप्ति के ३० दिन के अंदर प्रथम अपील, प्रथम याचिका अधिकारी को निम्न नाम एवं पते पर कर सकते है.

श्रीमती ज़ोया हइके, अतिरिक्त विधि सलाहकार एवं प्रथम याचिका अधिकारी,
विधि कार्य विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय,
कमरा संख्या 422 ए, चौथा तल,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -११०००१

पूनम

(पूनम सूरी)
उप विधि सलाहकार एवं
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
नोटरी सेल

EU-05176908924-27/X/2014

सेवा में,

सचिव / जन सूचना अधिकारी
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मन्त्रालय
डिपार्टमेन्ट आफ लीगल अफेयर्स
नोटरी सेल शास्त्री भवन
नई दिल्ली

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना आवेदन पत्र

महोदय,

निवेदन है कि मैं उमेश कुमार सारस्वत एडवोकेट बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पंजीकरण सं० 11642/2000 हूँ मेरा निवासी 2/219 खतराना होली का मैदान फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) 209625 का निवासी हूँ।

यह कि आवेदक द्वारा दिनांक 5/12/11 - 29/11/2012 को नोटरी सम्बन्धित मामले का साक्षात्कार होने के सम्बन्ध में वांछित सूचना चाहता हूँ।

1. यह कि उक्त आवेदकों का नोटरी सम्बन्धित जो साक्षात्कार 19 अगस्त 2014 से 22 अगस्त 2014 को दिल्ली में 310 लोगों का हुआ था जिसमें को 183 लोगों का चयन हुआ और 127 लोगों को निरस्त किया गया किस आधार पर जबकि साक्षात्कार का कोई मानक नहीं था।

2. साक्षात्कार के वक्त कोई भी प्रश्न वकालत सम्बन्धित नहीं पूछा गया क्यों?

3. उत्तर प्रदेश में नोटरी सम्बन्धित कितनी रिक्तियाँ थीं और किस जिले में कितने नोटरी वकील बनाए गए।

4. जिन लोगों की नोटरी सम्बन्धित मामले निरस्त की गई उनके बारे में सरकार आगे क्या निर्णय लेगी

5. जो 127 लोगों की मामले निरस्त की गई है जबकि एक मामले में 2000 रु० की N.O.C. लगी है (127×2000 = 254000) खर्चा वकील लोगों का हुआ है क्या सरकार पैसा वापस करेगी।

6. जो 127 लोगों की मामले निरस्त की गई है। क्या सरकार उनका दुबारा साक्षात्कार लेगी या पैसा वापस करेगी।

Notary Cell

Copy
5/11/14

1717

NOTARY CELL
F.S. D.A. No. 14420
Date 07-11-14

3 वकीलों का नोटरी लाइसेन्स जारी किया गया 13 के हिसाब से भी 225 लोगों का होना चाहिए जबकि 183 लोगों की नियुक्ति हुई किस आधार पर उत्तर प्रदेश में नोटरी वकील बनाए गए।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उक्त सूचना से अवगत कराने की कृपा करें जिस हेतु शुल्क रु० 10 का भारतीय डाक आदेश क्र० सं० 70C 216963 शुल्क रात से 70C 216964 संलग्न है।

संलग्न
1. पोस्टल आर्डर
2. रजिस्ट्री की रसीद साथ में
3. बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की रसीद

आवेदक
उमेश कुमार सारस्वत
एडवोकेट
म०नं० 2/219 खलासा होली
का मैदान, मऊनाथभंजन
दिनांक:-

Appeal P. No 2

4. बिन्दु संख्या 7 में जैसा कि आपके द्वारा लिखा गया है। साक्षात्कार कोई स्वयं अपने द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है। किसी भी आवेदक के नाम की सिफारिस करना साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों का क्षेत्राधिकार है। महोदय सिफारिस शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। किस तरह की सिफारिस करना चाहिए कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों का नाम व ऐड्रेस बताएं जिससे की मैं भी अपनी सिफारिस कर सकूं।

5. बिन्दु संख्या 5 में मैंने पूछा था कि N.O.C. 2000/- Rs की लगी है क्या यह दुबारा काम आयेगी या पैसा वापस होगा तो आपका जवाब आया इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। महोदय हेरे से जिले को ध्यान में रखते हुए वकील लोगों की आमदनी कम है अतः पुनः पैसा वापस कराया जाए।

अतः श्रीमती जोया हुडा जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त सूचना से अवगत कराने की कृपा करें जिसके हेतु शुल्क रा0 का भारतीय डाक पोस्टल आर्डर आपके पास भेजा जा चुका है जिसका क्र0 सं0 70C-216963 है, 70C-216964 है।

प्रार्थी

उमेश कुमार सारस्वत
(एडवोकेट)
मं0न0 21/219 खतरानी टोला
का मैदान, मुरादाबाद।